भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1832

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल)

1832. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भारतीय लेखा मानकों में कार्यान्वयन हेतु प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचे को शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) अवसंरचना कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 109 वित्तीय लिखतों का हिस्सा है। यह इंड एएस 109 को वित्तीय वर्ष 2016-17 से कंपनियों में पहले ही लागू किया जा चुका है।